

## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील देवरिया

देवरिया

जारी दिनांक: 27/06/2022

आवेदन क्र० प्रमाणपत्र क्र०

221900030088077 601223025733

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम तहसील

जिला

रितिक चौरसिया/Ritik Chaurasia

सूर्यभान चौरसिया

रीता देवी

,शाहपुर पुरैनी पोस्ट- बघडा महुआरी

शाहपुर पुरैनी

देवरिया

देवरिया

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>बरई</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि रितिक चौरसिया/Ritik Chaurasia पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक मेवा अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनौंक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये मकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |

जारी कर्ता केन्द्र: संजय,सीएससी गवर्नेंस जन सेवा केंद्र

पद: संजय, केन्द्र प्रभारी

स्थान : 22,Deoria (MB) - Ward No.22,देवरिया,देवरिया,देवरिया

दिनॉक: 13/07/2022

ANAND Digitally Signed by NAND KUMAR NAYAK KUMAR Pradesh NAYAK

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित देवरिया,देवरिया दिनॉक:27/06/2022

यह प्रमाण पत्र इतेन्द्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटन सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह हस्ताक्षर एंव महर प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।